ONE TIME SETTLEMENT SCHEME 2014

एक मुश्त डी.पी.एस. माफी योजना, 2014

O. T. S. 2014

बिजली बिल बकायेदारों के लिए सुनहरा व अन्तिम अवसर

यह योजना 31.05.2014 तक लागू है

बकाया बिजली बिल पर सूद(DPS) माफी की आकर्षक योजना!!!

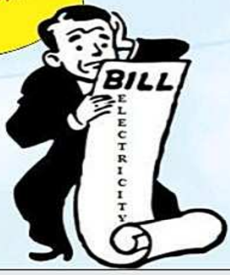

OTS स्कीम 2014 के तहत बकायेदार विद्युत उपभोक्ता जो अपने बकाये राशि का एकमुश्त भुगतान करेंगे उन्हें निम्नांकित प्रकार से **DPS** राशि में छूट दी जाएगी :

क्र0सं0	उपभोक्ता श्रेणी	DPS माफ करने का %
1.	कुटीर ज्योति (KJ/BPL), ग्रामीण घरेलू (DS-1), ग्रामीण व्यवसायी (NDS-1), कृषि (IAS-1)	100 %
2.	शहरी एवं ग्रामीण घरेलू (DS-2), व्यवसायी (NDS-2) एवं अन्य शहरी उपभोक्ता	75 %
3.	औद्योगिक (LTIS) एवं एच.टी. (HT)	50 %

किसको मिलेगा लाभ ?

- बकाया बिजली बिल वाले उपभोक्ता
- बकाये बिजली बिल पर विच्छेदित उपभोक्ता
- निलामवाद बकायेदार उपभोक्ता

ऊर्जा विभाग
बिहार सरकार

कैसे मिलेगा लाभ ?

- उपभोक्ता अद्यतन प्राप्त बिजली बिल (दिसम्बर 13/ जनवरी 14) को कम्पनी के कलेक्शन कॉउन्टर या ग्रामीण रेवेन्यु फ्रेन्चाइजी के यहाँ जमा कर DPS की छूट का लाभ उठा सकते हैं
- बिजली बिल के अनुसार संबंधित उपभोक्ता श्रेणी (Category) का नियमानुसार सूद (DPS) की छूट लेते हुए ऊर्जा शुल्क (Energy Charges) तथा शेष DPS (यदि कोई) का भुगतान करेंगें

नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड

(निबंधित कार्यालय : विद्युत भवन बेली रोड पटना)

पत्रांक: Rev/OTS/127/2014

दिनांक................................/

फोन न० 0612– 2504519

फैक्स न० 0612– 2504519

ई–मेल : vkbseb1961@gmail.com

प्रेषक,

विजय कुमार,
वित्त नियंत्रक–1

सेवा में,

उपमहाप्रबन्धक–सह–विद्युत अधीक्षण अभियन्ता,
सभी विद्युत आपूर्ति क्षेत्र।
विद्युत अधीक्षण अभियन्ता,
सभी विद्युत आपूर्ति अंचल।
विद्युत कार्यपालक अभियन्ता,
सभी विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल।
सहायक विद्युत अभियन्ता,
सभी विद्युत आपूर्ति अवर प्रमण्डल।

विषयः– **कृषि, घरेलू उपभोक्ता एवं अन्य उपभोक्ताओं को राहत पहुँचाने तथा विद्युत बकाये राशि की वसूली हेतु One Time Settlement Scheme लागू करने के सम्बन्ध में।**

प्रसंगः– **(1) बी0एच0पी0सी0एल0 का आदेश संख्या 134 दिनांक 30.01.2014**
(2) एन0बी0पी0डी0सी0एल0 का आदेश संख्या 163 दिनांक 01.02.2014
(3) बी0ई0आर0सी0 का आदेश संख्या 144 दिनांक 05.02.2014

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक आदेशों के आलोक में यह सूचित करना है कि कृषि, घरेलू एवं अन्य उपभोक्ताओं को राहत पहुँचाने एवं ऊर्जा प्रभार के मद में लंबित बकाये की वसूली के लिए कम्पनी द्वारा दिनांक 29.01.2014 को हुई बैठक में संकल्प संख्या 23–05.01 द्वारा दिनांक 10.02.2014 से 31.05.2014 तक One Time Settlement Scheme लागू करने का निर्णय लिया गया है, जिसपर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। इस योजना के स्वीकृत प्रावधान निम्नवत हैं :–

(क) One Time Settlement Scheme की अवधि 10.02.2014 से 31.05.2014 तक लागू रहेगी।

(ख)(i) इस योजना के तहत विभिन्न कोटि के उपभोक्ताओं का डी०पी०एस० निम्न तरीके से माफ किया जाएगा :–

क्रमांक	Category (कोटि)	डी0पी0एस0 माफ करने का प्रतिशत
1	कुटीर ज्योति/बी0पी0एल0, डी0एस0–1, एन0डी0एस0–1, आई0ए0एस0–1 (ग्रामीण क्षेत्र)।	100%
2	डी0एस0–2, एन0डी0एस0–2 एवं अन्य शहरी उपभोक्ता	75%
3	एल0टी0आई0एस0 तथा एच0टी0 उपभोक्ता।	50%

कृ0पृ0उ0

(ii) उपर्युक्त माफी तभी होगी जब उपभोक्ताओं द्वारा शेष बकाया राशि अर्थात् उर्जा मद में बकाया राशि एवं उपर्युक्त टेबुल में कोटि 2 एवं 3 में वर्णित उपभोक्ता के द्वारा डी०पी०एस० की अनुमान्य शेष राशि का एकमुश्त भुगतान किया जायेगा। कोटि 1 में वर्णित उपभोक्ताओं को केवल बकाया ऊर्जा राशि शुल्क का एकमुश्त भुगतान करना पड़ेगा तभी उन्हें शत् प्रतिशत डी०पी०एस० में माफी मिलेगी।

(ग) One Time Settlement Scheme का लाभ सभी कोटि के उपभोक्ता (सरकारी उपभोक्ताओं को छोड़कर) उठा सकते हैं।

(घ) One Time Settlement Scheme का लाभ सरकारी उपभोक्ताओं को देय नहीं होगा, क्योंकि पूर्व में दिनांक 31.10.2012 तक बकाये डी0पी0एस0 की राशि को कुल विद्युत बकाये की राशि से हटा दिया गया है।

(ङ) One Time Settlement Scheme का लाभ वैसे उपभोक्ता भी ले सकेंगे जिनके विरूद्ध बकाया राशि की वसूली के लिए पूर्ववर्ती बिहार राज्य विद्युत बोर्ड अथवा वर्त्तमान वितरण कम्पनी द्वारा निलामवाद (सर्टिफिकेट केस) दायर कर दिया गया हो एवं निष्पादन लम्बित हो तथा वैसे मामले जो उपभोक्ता फोरम/उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम (CGRF)/अपीलीय प्राधिकार में लम्बित हो उनपर भी लागू होगा। ऐसे मामलों में उपभोक्ता द्वारा कोर्ट फीस देय होगा।

(च) One Time Settlement Scheme वैसे उपभोक्ताओं पर भी लागू होगा जिनका विद्युत संबंध विद्युत बकाए आदि के कारण विच्छेदित (Disconnect) कर दिया गया है।

(2) उपर्युक्त योजना का संपूर्ण प्रचार–प्रसार करने की कार्रवाई सुनिश्चित करें ताकि अधिक से अधिक उपभोक्ता इस योजना का लाभ उठा सकें। इसी क्रम में कनीय विद्युत अभियंता अपने क्षेत्र के ग्राम पंचायतों/नगर पंचायतों, सहायक विद्युत अभियंता अपने क्षेत्र के प्रखण्ड पंचायत समिति एवं विद्युत कार्यपालक अभियंता अपने क्षेत्र के जिलाधिकारी/जिला परिषद् आदि के स्तर पर बैठक आयोजित कर अधिक से अधिक उपभोक्ताओं को इस योजना की सूचना देते हुए लाभान्वित करने की कार्रवाई करें। साथ ही नियमानुसार पंपलेट, बैनर, आदि के माध्यम से भी इस योजना को विज्ञापित करने की कार्रवाई करें।

(4) राजस्व वसूली के लिए आवश्यकतानुसार अतिरिक्त कलेक्कशन काउन्टर की व्यवस्था के साथ–साथ ब्लॉक कलेक्कशन काउन्टर एवं रेभेन्यू फ्रैंचाईजी के माध्यम से भी इस योजना के अंतर्गत उपभोक्ताओं से राजस्व वसूली सुनिश्चित की जाए।

(5) इस योजना के तहत् राजस्व वसूली के लिए मनी रसीद पर "ओ0टी0एस0 योजना–2014" का मुहर लगाते हुए ही मनी रसीद निर्गत किया जाए। रूरल रेभेन्यू फ्रैंचाईजी को भी इस योजना के तहत् वसूली पर उक्त मुहर लगाने के लिए निदेशित करें।

(6) One Time Settlement Scheme से प्राप्त होने वाली राजस्व राशि की सूचना संलग्न प्रपत्र में प्रमण्डलवार एवं अंचलवार प्रत्येक सोमवार को वरीय प्रबंधक (राजस्व), एन0बी0पी0डी0सी0एल0, मुख्यालय, पटना को फैक्स/ई–मेल के माध्यम से भेजना सुनिश्चित करें।
<u>अनुलग्नक</u>– तथैव।

विश्वासभाजन,

ह0/–

(विजय कुमार)

वित्त नियंत्रक – 1

लगातार .....

ज्ञापांक ______________ पटना, दिनांक ______

प्रतिलिपि सभी बिलिंग एजेंसी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि Onetime Settlement Scheme के तहत् सभी उपभोक्ताओं (सरकारी उपभोक्ताओं को छोड़कर) के ऊर्जा मद एवं डी0पी0एस0 के तहत् दिनांक 31.01.2014 को बकाये राशि को दर्शाते हुए फीडरवार उपभोक्ता लेजर की तीन प्रति अविलंब निर्गत करते हुए संबंधित विद्युत कार्यपालक अभियंता को दिनांक 18.02.2014 तक अवश्य उपलब्ध करायें।

अनुलग्नक– तथैव।

ह0/–
(विजय कुमार)
वित्त नियंत्रक – 1

ज्ञापांक ______________ पटना, दिनांक ______

प्रतिलिपि सभी नोडल पदाधिकारी, नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि0, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(विजय कुमार)
वित्त नियंत्रक – 1

ज्ञापांक ______________ पटना, दिनांक ______

प्रतिलिपि नार्थ बिहार के सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/ सभी जिलाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(विजय कुमार)
वित्त नियंत्रक – 1

ज्ञापांक 354 पटना, दिनांक 14.02.2014

प्रतिलिपि अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0 के विशेष कार्यपदाधिकारी/प्रबंध निदेशक के वरीय निजी सहायक को कृपया सूचनार्थ प्रेषित।

14/2/14
(विजय कुमार)
वित्त नियंत्रक – 1